

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी संस्थानों/अर्द्धसरकारी संस्थानों के कार्यालय भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1603/यूपीनेडा/लेखा-बजट/2024-25, दिनांक 28 जून, 2024 एवं पत्र संख्या-3191/यूपीनेडा-एसई-बैट्री स्टोरेज सौर पावर परियोजना/2024, दिनांक 05 सितम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूटिलिटी स्केल बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु पूंजीगत उपादान मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 10000/- लाख (रूपये एक अरब मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 2810-60-800-0703-20 सरकारी संस्थानों/ अर्द्धसरकारी संस्थानों के कार्यालय भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संक्रमित की गयी धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड मात्र) को स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- 1- यूपीनेडा द्वारा जिस मद में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 2- जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उक्त मद में प्रस्तावित धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- 3- प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। यूपीनेडा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।
- 4- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने एवं उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु यूपीनेडा उत्तरदायी होंगे।
- 5- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अंतर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

8- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

9- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

10- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

11- द्विविधिता से बचने के लिए कार्य की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

12- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

13- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

14 अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उतनी ही धनराशि आहरित की जाये, जिसका उपभोग दिनांक 31-03-2025 तक उपयोग हो सके तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

15- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

16- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय जाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

18- यह आदेश वित्त विभाग के संख्या-RE-budget-1-75-E-10-54-X-2024-25-दिनांक : 25-09-2024 में दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810608000703 सरकारी संस्थानों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों के कार्यालयों भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-55/2024/1388/001-87-01099-21-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।